

19 दिसंबर 2019

नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी बयान
**नागरिकता के लिए जारी प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश और नेताओं तथा
प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा**

भारतीय नागरिकों की ओर से नागरिकता संशोधन कानून का विरोध देशभर में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर इस असंवैधानिक कानून के खिलाफ विभिन्न तरीकों से अपने गुस्से और बेचैनी का इज़हार कर रहे हैं। पुलिस की बर्बरता की कुछ घटनाओं को छोड़कर, हर जगह शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। नागरिकता की सेक्युलर सोच को ढहाने के खिलाफ, देश के सभी वर्गों के लोग, संगठन, पार्टियां महिलाएं और छात्र अपने सभी मतभेदों से ऊपर उठकर लोकतांत्रिक विरोध जताने में हिस्सा ले रहे हैं।

देश के विभिन्न हिस्सों विशेषकर बीजेपी शासित राज्यों से मिलने वाली रिपोर्टों से पता चलता है कि केंद्रीय एवं राज्य सरकारों ने ताकत के बल पर शांतिपूर्वक प्रदर्शनों को दबाना शुरू कर दिया है। विभिन्न राज्यों में प्रतिबंधक आदेश जारी किए गए हैं, खौफ का माहौल बनाया जा रहा है और स्थानीय नेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। यहां तक कि प्रसिद्ध विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और राजनीतिक पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया है, ताकि उन्हें प्रदर्शनों का नेतृत्व करने से रोका जा सके।

राजधानी दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों पर पुलिस की बर्बरता के बाद, आज सिविल सोसाइटी के विभिन्न समूहों और सेक्युलर पार्टियों के बुलावे पर होने वाले लाल किला मार्च को भी बड़े पैमाने पर लोगों को गिरफ्तार करके नाकाम बनाने की कोशिश की गई। दबाने और खामोश करने की इस बेहद निंदनीय हरकत से यह साबित होता है कि बीजेपी को कानूनी तथा शांतिपूर्वक राजनीतिक विरोध भी बर्दाश्त नहीं है। उन सैकड़ों प्रदर्शनकारियों में जिन्हें आज दिल्ली में गिरफ्तार किया गया है सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी. राजा, एसडीपीआई नेता डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी आदि भी शामिल हैं। वहीं राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों के कई मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं, ताकि सरकार के खिलाफ अवाम के गुस्से को कुचला जा सके। रिपोर्ट के अनुसार, शांतिपूर्वक प्रदर्शनों को बर्बाद करने के लिए 130,000 सुरक्षाबलों को तैनात किया जा रहा है।

बंगलुरु में प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा को गिरफ्तार किया गया है। असम के अंदर प्रदर्शनों को सांप्रदायिक रूप देने के लिए पॉपुलर फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष अमीनुलहक के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज किए गए हैं और कार्यालयों एवं घरों पर छापेमारी भी की गई है। यूपी में इन्होंने प्रतिबंधक आदेश लागू कर दिया है और विभिन्न जगहों पर पॉपुलर फ्रंट के स्थानीय पदाधिकारियों सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है।

हम बीजेपी की केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की इन तमाम दमनकारी कार्यवाहियों की निंदा करते हैं, जो कि पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक, गैरकानूनी और असंवैधानिक है। साथ ही हम सत्ता में बैठी ताकतों को बताना चाहते हैं कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अवाम की उठती आवाज़ों को ऐसी कार्यवाहियों से कमज़ोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के विभाजनकारी एजेंडे के खिलाफ बिना किसी मतभेद के यह पूरे देश की प्रतिक्रिया है। हम सरकार और उसे चलाने वाली तमाम ताकतों से मांग करते हैं कि वे नागरिकता के अधिकार में किये गए इस नए संशोधन सहित ऐसे तमाम फैसलों को वापस लें।

एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, एसडीपीआई

मोहम्मद शफी, राष्ट्रीय महासचिव, एसडीपीआई

ई.एम. अब्दुर्रहमान, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया

ए.एस. इस्माईल, नॉर्थ ज़ोन अध्यक्ष, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया

परवेज़ अहमद, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया